# 04)

## कार्यालय कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.)

दिनांक 25/01/2014

कमांक 🏖 /अङ्गा / 2014—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप—धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम एवं असर्वेक्षित ग्रामों को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4—137/सात—1/2013 दिनांक 01/01/2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू—राजस्व संहिता, 1959 क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू—राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित असर्वेक्षित ग्राम इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा अर्थात :--

स.	वन ग्राम	ग्राम का	वनग्राम सीमाएं	पटवारी	ग्राम	तहसील	जिला
中.	का नाम	कुल		हल्का	पंचायत		
		रकबा (हेक्टेयर में)		नम्बर	का नाम		
(1)	(2)	(3)	(4)	6	6	()	8
1	बट्टीनामा	222,595	उत्तर-वन ग्राम पुरनतराई	11	घोटपाल	गीदम	दक्षिण
			दक्षिण-वन ग्राम जोड़ातराई				बस्तर
	4		पूर्व-आरक्षितवन				दन्तेवाड़ा
	2		पश्चिम-वन ग्राम नागफनी				
2	भालूनाला	572.015	उत्तर–आरक्षितवन	12	हिड़पाल	गीदम	-,,-
			दक्षिण-आरक्षितवन / वनग्राम		,		100
		Particle Control of	बट्टीनामा	,			
			पूर्व-आरक्षितवन				
			पश्चिम-राजस्व ग्राम हिड्पाल				
3	बालेंगपाल	317.485	उत्तर–आरक्षितवन	12	हिड़पाल	गीदम	-,,-
			दक्षिण-राजस्व ग्राम हिड़पाल		*		
			पूर्व-आरक्षितवन				10
			पश्चिम-संरक्षितवन / राजस्व			_	
			ग्राम उपेट				
4	मलूमुण्डा	98.081	उत्तर–आरक्षितवन	02	मुचनार	गीदम	
			दक्षिण-आरक्षितवन/अलीबहार		-		
	Type From A T I	* 1	नाला/राजस्व ग्राम			,	
			कोरलापाल				
			पूर्व-आरक्षितवन				
			पश्चिम-आरक्षितवन / इंद्रावती		114	0	
			नदी				

कलेक्टर, र्दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा





9801

### कार्यालय तहसीलदार गीदम, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाडा (छ०ग०)


क. / 2 5 र ४ / तह0 / का0गो० / 2018

प्रति,

संयुक्त निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय छत्तीसगढ़ रायपुर



गीदम, दिनांक 15/05/2018



विषयः— भारत की जनगणना 20121 के लिये योजना—क्षेत्राधिकार में हुए परिवर्तनों की जानकारी एवं तहसील के अंतर्गत आने वाले राजस्व एवं वन ग्रामों की सूची का सत्यापन।

संदर्भ:— आपका पत्र क्रमांक आई—1101/1/2018 जन—डीसीओ(छ०ग०)/एच—1409 दिनांक 1/2/2018

---00---

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि तहसील गीदम अंतर्गत भारत की जनगणना 2011 के लिये योजना—क्षेत्राधिकार में हुए परिवर्तनों की जानकारी एवं तहसील के अंतर्गत आने वाले राजस्व एवं वन ग्रामों की सूची सत्यापन हेतु इस कार्यालय का प्राप्त हुआ है। उक्त सूची में तहसील गीदम के 67 ग्रामों का नाम अंकित है।सभी का सत्यापन कर नाम को लाल स्याही से सुधार किया गया है। उक्त सूची दो अन्य ग्राम बटटीनामा एवं मल्लूमुण्डा का नाम नहीं है। ग्राम बटटीनामा का जनगणना वर्ष 2011 में ग्राम घोटपाल के पारा—टोला के रूप में हुआ है। घोटपाल का एमडीडीएस कोड—450137, ग्राम कोड—0020 है। तथा ग्राम मल्लूमुण्डा का जनगणना ग्राम मुचनार के पारा—टोला के रूप में हुआ है। ग्राम मुचनार का एमडीडीएस कोड—450126, ग्राम कोड—0009 है। ग्राम बटटीनामा एवं मल्लूमुण्डा को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने हेतु कार्यालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के अधिसूचना कमांक 86/भू030/2014 दिनांक 25/01/2014 जारी किया गया है।

अतः आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

मा वहारीनेवार

### (DY)

#### कार्यालय कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा (छ.ग.) //अधिराचना//

दिनांक दे 1/01/2014

कमांक ि /३५% /2014—यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 रान् 2007) की धारा 3 की उप—धारा (1) के खण्ड (जे के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा के द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित वन ग्राम एवं असर्वेक्षित ग्रामों को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता ग्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 4—137/सात—1/2013 दिनांक 01/01/2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्रीम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अधोहस्ताकर्ता में निहित किया गया है।

अतएवं, छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्द्वारा, घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित असर्वेक्षित ग्राम इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा अर्थात :--

कलिम (2) म देशित असविक्षित ग्राम इस अधिसूचना विनाय से र्पा राजरप श्राम विनाय र									
स.	वन ग्राम	ग्राम का	वनग्राम सीमाएं	पटवारी े	ग्राम	तहसील	जिला		
क.	का नाम	कुल		हल्का	पंचायत				
		रकबा	¥	नम्बर	का नाम				
		(हेबटेयर में)							
(1)	(2)	(3)	(4)	6	(9)	(1)	(9)		
1	वद्टीनामा	222,595	उत्तर-वन ग्राम पुरनतराई	11	घोटपाल	गीदम	दक्षिण		
			दक्षिण-वंन ग्राम जोड़ातराई		,		बरत्तर		
			पूर्व-आरक्षितवन				दन्तेवाड़ा		
			पश्चिम-वन ग्राम नागफनी		, i	<u> </u>			
2	भालूनाला	572.015	उत्तर–आरक्षितवन	12	हिङ्पाल	गीदम	-,,-		
			दक्षिण-आरक्षितवन / वनग्राम						
1			बट्टीनामा						
		•	पूर्व-आरक्षितवन						
		ř,	पश्चिम-राजस्व ग्राम हिड्पाल						
3	बालेंगपाल	317.485	उत्तर-आरक्षितवन	12	हिडपाल	गीदम	-,,-		
	<u> </u>	• .	दक्षिण-राजस्य ग्राम हिड्पाल			4.			
			पूर्व-आरक्षितवन	1					
			पश्चिम-संरक्षितवन / राजस्व	-					
		j.	ग्राम उपेट						
4	मलुमुण्डा	98.081	उत्तर-आरक्षितवन	02	मुचनार	गीदम	_,_		
	6/3		ृदक्षिण-आरक्षितवनं / अलीबहारं	1					
	1		नाला / राजस्व ग्राम		, ,				
			कोरलापाल	]-	(%.)				
			पूर्व-आरक्षितवन	-		1			
	and the second		पश्चिम-आरक्षितवन / इंद्रावती	1		1 11			
			नदी		*	1 /			
L., , ,	: 	L	170			┸/}	J		

कलेविटर, \दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा